कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून

पत्रांक KVK/DUN/420 दिनांक 30.07.26

निविदा सूचना

पन्तनगर विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून में स्थित मछली तालाब की बिक्री हेतु निविदा **दिनांकः.25.08.2026** को अपराहन् 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदायें केन्द्र पर उपलब्ध निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 25.08.2026 की दोपहर 2:30 बजे तक निविदादाताओं के समक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून में खोली जायेंगी। निविदा की शर्तें तथा समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्र के कार्यालय अथवा पन्तनगर विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.gbpuat.ac.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रभारी अधिकारी,
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी,
देहरादून

कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र,

ढकरानी, देहरादून

पत्रांक: KVK/DUN/421 दिनांक: 30.07.26

नीलामी सूचना/शर्ते

केन्द्र के प्रक्षेत्र पर उपलब्ध कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी मे स्थित मत्स्य तालाब कुल संख्या 01 (कुल क्षेत्रफल 0.15 है०) को लाइसेंस शुल्क के आधार पर पर तीन वर्ष (यथा दि० 01.10.2026 से दि० 30.09.2029) तक के लिए दिए जाने हेतु निविदा/नीलामी के माध्यम से **दिनांकः 25.08.2026** को अपराहन् 2:00 बजे **कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून** में की जानी प्रस्तावित है। निविदायें दिनांक 25.08.2026 **की दोपहर 1:00 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून में उपलब्ध निविदा बाक्स में डाली जानी आवश्यक है।**

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र/टेण्डर फार्म एवं उसके साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपने पहचान पत्र/आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की छायाप्रति तथा अर्नेस्टमनी/धरोहर राशि बैंक एफ.डी. निविदा के साथ जमा करना होगा।
2. निविदा/नीलामी प्रपत्र (टेण्डर फार्म) दिनांक 24.08.2026 को समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रू0 500.00 + जी.एस.टी. 18 प्रतिशत रू0 90.00 कुल रू0 590.00 (रू0 पांच सौ नब्बे मात्र) में नकद भुगतान करते हुये क्रय किये जा सकते है।
3. निविदा केवल उन्ही ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी, जिनके द्वारा दिनांक 24.08.2026 को क्रय किये गये निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 500.00 + जी.एस.टी. 18 प्रतिशत रू0 90.00 कुल रू0 590.00 (रू0 पांच सौ नब्बे मात्र) की रसीद, पहचान पत्र/आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अर्नेस्टमनी/धरोहर राशि (वापसी योग्य) **रू0 50,000.00 (पचास हजार मात्र) की राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैक एफ.डी., जो प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून के नाम पर देय हो**, निविदा प्रपत्र/टेण्डर फार्म के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाला गया हो।
4. निविदादाताओं को निविदायें दिनांक 25.08.2026 को दोपहर 1:00 बजे तक केन्द्र के निविदा बाक्स में जमा करनी होगी, जो दिनांक 25.08.2026 को 2:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी।
5. निविदा की निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता की अर्नेस्टमनी/धरोहर राशि को रोकते हुये शेष निविदादाताओं की प्रकिया समाप्त होने के पश्चात अगले कार्यदिवस में वापस कर दी जायेगी।
7. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि को 02 किस्त में जमा करना होगा। प्रथम किस्त का भुगतान अनुबन्ध के समय नगद तथा द्वितीय किस्त अनुबन्ध की तिथि से ठीक 01 वर्ष 06 माह बाद (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) संबंधित लाइसेंस निविदादाता द्वारा पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) जमा करना होगा।

8. उक्त द्वितीय किस्त की धनराशि के भुगतान हेतु पी०डी०सी० चैक (पोस्ट डेटेड चैक) निविदादाता द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी०डी०सी० चैक किसी भी कारण से बाउंस होने पर निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। लाईसेंस शुल्कदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक किस्त की धनराशि किसी भी कारण से जमा नहीं कराये जाने की दशा में कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर का निर्णय अन्तिम होगा।
9. उच्चतम निविदादाता को 10 प्रतिशत धनराशि सुरक्षा धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रभारी अधिकारी के पक्ष में कृषि विज्ञान केन्द्र ढकरानी, देहरादून कार्यालय में अलग से जमा करनी होगी, जो प्रथम किस्त के साथ जमा होगी। उक्त ड्राफ्ट को द्वितीय किस्त प्राप्त होने के उपरान्त निविदादाता को वापस कर दिया जायेगा।
10. तालाब की निविदा की अवधि दिनांकः 01.10.2026 से 30.09.2029 तक की होगी। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अनुबंध करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र पर भी अवगत कराया जायेगा।
11. सम्बंधित ठेकेदार को तालाब में पानी भरने एंव निकासी इत्यादि की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
12. मछली तालाब की सुरक्षा ठेकेदार को स्वंय करनी होगी, किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में कृषि विज्ञान केन्द्र ढकरानी, देहरादून उत्तरदायी नहीं होगा।
13. संबंधित निविदादाता को अपने खर्च पर रु. 100.00 नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा तथा दोनो पक्षों के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् किये गये अनुबंध को निविदादाता द्वारा पंजिकृत कराया जाना होगा।
14. अनुबंध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् (दिनांकः 01.10.2026 से पूर्व) सम्बंधित तालाब हेतु दिये जाने के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
15. तालाब की मछली बिक्री पर यदि किसी भी प्रकार का कर यथा–जी.एस.टी., स्टाम्प ड्यूटी अथवा किसी अन्य प्रकार का टैक्स जो नियमानुसार देय होगा वह उच्चतम निविदादाता द्वारा ही जमा कराया जाना होगा।
16. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में निहित होगा। इसके साथ ही संबंधित निविदा अथवा अनुबंध को बिना किसी कारण बिना किसी पूर्व सूचना दिये हुये निरस्त किये जाने का भी अधिकार कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर का होगा, जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार होगा।
17. उक्त समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जायेगी।

प्रभारी अधिकारी
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून